राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 15(6)कार्मिक / क–2 / 86 जयपुर, दिनांकः 24.12.2018

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषयः–बोर्ड / कमेटी में अनु0 जाति / अनु0 जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं को प्रतिनिधित्व।

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 23.10.2002 एवं यथासंशोधित परिपत्र दिनांक 25.11.2009 एवं जारी परिपत्र दिनांक 25.01.10 के द्वारा सभी नियुक्ति अधिकारियों को यह निर्देश प्रदान किये गये थे कि राज्य सरकार के अधीन कतिपय अधीनस्थ सेवाओं एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा में सीधी भर्ती से भरे जानें वाले पदों पर भर्ती के समय गठित चयन समिति में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ही अनु0 जाति / अनु0 जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग के एक सदस्य को तथा एक महिला सदस्य को भी जहां तक संभव हो, प्रतिनिधित्व दिया जावें। यदि किसी सेवा विशेष में किसी भी संवर्ग से कोई भी महिला सदस्य सेवारत नहीं हो तो किसी भी अन्य सेवा की एक महिला अधिकारी का सहवरण (Coopt) कर लिया जावें।

इस संबंध में पुनः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि कृपया उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करानें की व्यवस्था करें।

(टी. रविकान्त)
शासन सचिव

60/18

circular - 42